



कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-49बी0/2015-748 दिनांक : 13/6/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल/ सारण्डा वन प्रमण्डल/
विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/
जामताड़ा वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण, तसर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण, गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल **रु0 38.564 लाख (अड़तीस लाख छप्पन हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-53/2015-53/स्वी0 व0प0 दिनांक-06.01.2016 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-53/2015-08/आ0 व0प0 दिनांक 26.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 38.564 लाख (अड़तीस लाख छप्पन हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	33.099
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	5.465
कुल :-		38.564

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (च)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/ वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (च)** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601796580103 तथा पी0 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।
6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49बी0/2015- 748/ दिनांक- 13/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ दुमका/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ जमशेदपुर/ दुमका/ गुमला/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49बी0/2015- 748/ दिनांक- 13/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/ जामताड़ा/ गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			9058.42	1590.00	10648.42
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	60.00	5.435	0.954	6.389
2	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	40.00	3.623	0.636	4.259
योग :-		100.00	9.058	1.590	10.648

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत तसर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			12381.74	2138.50	14520.24
i	ii	iii	iv	v	vi
1	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	50.00	6.191	1.069	7.260
योग :-		50.00	6.191	1.069	7.260

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना के अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			12381.74	2138.50	14520.24
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	35.00	4.334	0.748	5.082
योग :-		35.00	4.334	0.748	5.082

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			9058.42	1590.00	10648.42
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	40.00	3.623	0.636	4.259
योग :-		40.00	3.623	0.636	4.259

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)					
क. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक उपलब्धि (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			6684.62	961.00	7645.62
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	60.00	4.010	0.577	4.587
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	38.00	2.540	0.365	2.905
3	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	50.00	3.343	0.480	3.823
योग :-		148.00	9.893	1.422	11.315
सकल योग :-		373.00	33.099	5.465	38.564

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक-2 (क)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (वन भूमि पर वृक्षारोपण)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666 पौधे
 पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)
 मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5459.74	0.00	5459.74
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	12.16	2886.54	0.00	2886.54
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)					
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	712.14	290.00	1002.14
योग :-			38.16	9058.42	1590.00	10648.42

अनुलग्नक-2 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण (तसर/ शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे
 पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०
 मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35.00	8308.30	0.00	8308.30
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1962.50	1962.50
3	पौधों की सुरक्षा					
3.1	30 हे० तक	हे०	12.16	2886.54		2886.54
3.2	30 हे० से 60 हे० तक					
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5.00	1186.90	176.00	1362.90
योग :-			52.16	12381.74	2138.50	14520.24

अनुलग्नक-2 (ग)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे०

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5459.74	0.00	5459.74
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	12.16	2886.54	0.00	2886.54
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)					
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	712.14	290.00	1002.14
योग :-			38.16	9058.42	1590.00	10648.42

अनुलग्नक-2 (घ)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3मी. x 3मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	3323.32	0.00	3323.32
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	785.00	785.00
3	पौधों की सुरक्षा			0.00		
3.1	30 हे० तक	हे०	12.16	2886.54		2886.54
3.2	30 हे० से 60 हे० तक					
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2.00	474.76	176.00	650.76
योग :-			28.16	6684.62	961.00	7645.62

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-49B/15/748

दिनांक - 13-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33885	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	543,500.00 रुपये पाँच लाख तीरयालीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33886	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	362,300.00 रुपये तीन लाख बासठ हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33887	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	953,400.00 रुपये नौ लाख तीरपन हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

1,859,200.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये अठारह लाख उनसठ हजार दो सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, DABHARWANS RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33888	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	687,400.00 रुपये छः लाख सित्तासी हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33890	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	362,300.00 रुपये तीन लाख बासठ हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33892	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	401,000.00 रुपये चार लाख एक हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

1,450,700.00

क्रमिक योग:

रुपये तैतीस लाख नौ हजार नौ सौ

3,309,900.00


(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, DADHARHANS RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33917	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	95,400.00 रुपये पिनचानवे हजार चार सौ
8	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33918	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	63,600.00 रुपये तीरसठ हजार छः सौ
9	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33919	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	154,900.00 रुपये एक लाख चौपन हजार नौ सौ

योग:

313,900.00

क्रमिक योग:

रुपये छत्तीस लाख तेइस हजार आठ सौ

3,623,800.00



SHRI SARVAM SINGH
PCCF, D. B. (MARKET) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33920	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	111,300.00 रुपये एक लाख ग्यारह हजार तीन सौ
11	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33921	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	63,600.00 रुपये तीरसठ हजार छः सौ
12	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33922	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	57,700.00 रुपये सत्तावन हजार सात सौ

योग:

232,600.00

क्रमिक योग:

रुपये अड़तीस लाख छप्पन हजार चार सौ

3,856,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

CCF, D. BAHARIGANES RANCHI